**प्रवेश प्रक्रिया (2021-22) के लिए अभिभावकों हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश**

1. **कक्षा एक में प्रवेश हेतु:**
	1. कक्षा एक में 40 रिक्तियों हेतु सभी श्रेणियों के अभिभावकों द्वारा नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन वैबसाइट https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि 19.04.2021 है।
	2. यदि आप ई मित्र से आवेदन भर रहे हैं तो कृपया अपना स्वयं का फोन नंबर एवं ई मेल आई डी उपलब्ध कराएं।
	3. नामांकन आवेदन में विद्यार्थी व उसके माता-पिता का नाम विद्यार्थी के जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही मान्य होगा।
	4. जमा किए गए आवेदन फॉर्म को संशोधित नहीं किया जा सकता है। यदि आपको पता चलता है कि आपके आवेदन में गलत जानकारी दर्ज हो गई है, तो आपके पास जमा किये आवेदन को रद्द करने का विकल्प है। यदि आप जमा किए गए आवेदन को रद्द करते हैं, तो आप आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले फिर से आवेदन कर सकते हैं। यह एक नया आवेदन माना जायेगा।
	5. पंजीकरण के समय प्रदान किए गए विवरण को बाद में प्रवेश आवेदन पत्र में नहीं बदला जा सकता। अतः कृपया इन विवरणों को उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य (जन्म प्रमाण पत्र) के अनुसार सही दर्ज करें।
	6. आपको सलाह दी जाती है कि एक ही बच्चे के लिए कई आवेदन पत्र जमा न करें।
	7. यदि के.वि.स. द्वारा प्रवेश हेतु जारी समय सारिणी के अनुसार प्रवेश परिणाम घोषित होने के बाद विद्यालय द्वारा अस्थायी( प्रोविशनल) प्रवेश दिया जाता है, तो ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय सूचीबद्ध सभी सहायक दस्तावेजों के मूल( ओरिजिनल) दस्तावेज प्रवेश के समय संबंधित विद्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इन मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने पर प्रवेश रद्द किया जा सकता है।
	8. सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित एवं प्रतीक्षा सूची का प्रदर्शन विद्यालय सूचना पट्ट एवं विद्यालय की वेबसाइट पर दिनांक 23 अप्रैल 2021 को किया जाएगा।
	9. आवश्यक दस्तावेजों के संदर्भ में-
		1. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) / ईडब्ल्यूएस / बीपीएल श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए,  यदि बच्चे का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रवेश के प्रयोजन हेतु माता अथवा पिता के प्रमाण-पत्र को आरंभ में स्वीकार कर लिया जाए। किन्तु बच्चे से संबंधित प्रमाण पत्र प्रवेश की तारीख से 03 महीने की अवधि के भीतर जमा करना होगा ।
		2. "दिव्यांग " श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए, भारत सरकार के दिनांक 04.05.1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/85/स्था./(एससीटी) में परिभाषित सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र अथवा किसी अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जमा कराना होगा, जिसमें बच्चे की विकलांगता प्रमाणित की गई हो ।
		3. सेवा श्रेणी में स्थानांतरण के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए, पिछले 7 वर्षों के दौरान हुए स्थानांतरणों की संख्या को दर्शाने वाला एक सेवा प्रमाण-पत्र जमा कराना होगा, जो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर सहित हो तथा उसमें कार्यालयाध्यक्ष का नाम, पदनाम और अन्य जरूरी ब्यौरे स्पष्ट अक्षरों में लिखे गए हों।
		4. भूतपूर्व रक्षाकर्मियों के लिए सेवानिवृति प्रमाण-पत्र जमा कराना होगा ।
		5. "सिंगल गर्ल चाइल्ड" श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए, 100 रू के
		गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र जमा कराना होगा ।
2. **कक्षा 2 एवं आगे की कक्षाओं में प्रवेश हेतु:**
	1. कक्षा 2, 3, 4, 5, 6 एवं कक्षा 7 में प्रवेश के लिए नामांकन आवेदन ऑफलाइन माध्यम से दिनांक 08 अप्रैल 2021 से 15 अप्रैल 2021 के मध्य ही स्वीकार किए जाएंगे।
	2. इन कक्षाओं में वर्तमान रिक्तियों के आधार पर दिनांक 19.04.2021 सायं 4:00 बजे सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित एवं प्रतीक्षित सूची जारी की जाएगी। किसी कक्षा में रिक्ति नहीं होने पर विद्यार्थियों की चयनित एवं प्रतीक्षित सूची जारी नहीं की जाएगी।
	3. सिर्फ चयनित (Provisionally selected) सूची के विद्यार्थियों को विद्यालय में दिनांक 20.04.2021 से 27.04.2021 तक प्रवेश दिया जाएगा।
	4. प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थियों को भविष्य में रिक्ति होने पर विद्यालय द्वारा फोन पर सूचित किया जाएगा तथा उनके चयनित होने की सूचना विद्यालय की वैबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी।
	5. चयनित (Provisionally selected) सूची के विद्यार्थियों के अभिभावक विद्यालय से खाली प्रवेश फॉर्म प्राप्त करेंगे तत्पश्चात इसे पूर्ण रूप से भर कर सभी मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियों के साथ जमा करवाएँगे, सत्यापन हेतु मूल दस्तावेजों को भी प्रस्तुत करना होगा। इन सत्यापित प्रतिलिपियों या मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने पर प्रवेश रद्द किया जा सकता है।
	6. प्रवेश फॉर्म में विद्यार्थी व उसके माता-पिता का नाम विद्यार्थी के जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही मान्य होगा।
	7. प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम चरण में, प्रवेश प्रभारी तथा प्राचार्य द्वारा पूर्ण रूप से भरे प्रवेश फॉर्म सत्यापित करने के पश्चात अभिभावकों को अपने पाल्य की फीस के.वि.स. के नियमानुसार जमा करनी होगी।
	8. आवश्यक दस्तावेजों के संदर्भ में-
		1. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) / ईडब्ल्यूएस / बीपीएल श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए,  यदि बच्चे का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रवेश के प्रयोजन हेतु माता अथवा पिता के प्रमाण-पत्र को आरंभ में स्वीकार कर लिया जाए। किन्तु बच्चे से संबंधित प्रमाण पत्र प्रवेश की तारीख से 03 महीने की अवधि के भीतर जमा करना होगा ।
		2. "दिव्यांग " श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए, भारत सरकार के दिनांक 04.05.1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/85/स्था./(एससीटी) में परिभाषित सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र अथवा किसी अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जमा कराना होगा, जिसमें बच्चे की विकलांगता प्रमाणित की गई हो ।
		3. सेवा श्रेणी में स्थानांतरण के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए, पिछले 7 वर्षों के दौरान हुए स्थानांतरणों की संख्या को दर्शाने वाला एक सेवा प्रमाण-पत्र जमा कराना होगा, जो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर सहित हो तथा उसमें कार्यालयाध्यक्ष का नाम, पदनाम और अन्य जरूरी ब्यौरे स्पष्ट अक्षरों में लिखे गए हों।
		4. भूतपूर्व रक्षाकर्मियों के लिए सेवानिवृति प्रमाण-पत्र जमा कराना होगा ।
		5. "सिंगल गर्ल चाइल्ड" श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए, 100 रू के
		गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र जमा कराना होगा ।
		6. उपरोक्त के अलावा जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण, आधार कार्ड की प्रतिलिपियाँ एवं ब्लड ग्रुप रिपोर्ट इत्यादि भी जमा करने होंगे।
3. प्रवेश हेतु सही एवं पूर्ण रूप से भरे हुए नामांकन आवेदन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। गलत या त्रुटिपूर्ण नामांकन आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभिभावक स्वयं की होगी।
4. नामांकन आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित या स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां भी सलंग्न की जाएंगी, अन्यथा आपका आवेदन अमान्य होगा। इन दस्तावेजों की जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन की सत्र 2021-22 के लिए जारी की गई प्रवेश हेतु गाइड लाइन के पेज नंबर 13 पर दी गई है, जिसे आप विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
5. प्रवेश हेतु विद्यालय के कर्मचारियों को किसी प्रकार का प्रलोभन देना या किसी गलत तरीके से दबाव बनाना कानूनन जुर्म है व इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
6. प्रवेश के लिए विद्यालय में उपस्थित होने के दौरान सभी अभिभावक गण कोविड-19 के प्रसार एवं रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करेंगे। अर्थात बिना मास्क के विद्यालय में प्रवेश वर्जित है। विद्यालय परिसर में सभी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे।

 आज्ञा से,

 प्राचार्य

 केंद्रीय विद्यालय बांदीकुई